राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्रमांक -1

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रदोह

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है| विचारों की स्वतंत्रता कुछ मर्यादाओं के मध्य अन्तर्निहित है| ये आठ प्रकार की मर्यादाएँ : राष्ट्र की सुरक्षा, मित्र राष्ट्रों से सम्बन्ध, सामाजिक व्यवस्था, शालीनता/सदाचार, न्यायालय का सम्मान, अपराध नियंत्रण, राष्ट्र की अखंडता/स्वायत्तता | कोई भी अभिव्यक्ति इन सीमाओं के भीतर रहकर ही करना, इस मर्यादा का मूल-मंत्र है| यदि उपरोक्त मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई ऐसी अभिव्यक्ति, क्रिया/ प्रतिक्रिया व्यक्त अथवा जाहिर करना, जो राष्ट्र की सम्प्रभुता और स्वायत्तता के विपरीत हो, तो उसे भारतीय अचार संहिता की धारा 124 (A) के अंतर्गत राष्ट्रदोह माना गया है, जो एक दंडनीय अपराध है|

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को गंभीर जिम्मेदारी से ओतप्रोत एक महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार मानता है| मंच का आग्रह रहा है कि इस अधिकार का प्रयोग मर्यादित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर ही होना चाहिए| राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ऐसी किसी भी अभिव्यक्ति को अनुचित और अवैध मानता है, जिसमें भारत राष्ट्र राज्य की मूल अवधारणा का उल्लंघन किया गया हो अथवा ऐसा संकेत-मात्र भी उसमे निहित हो|

जैसा कि हम सब ने विगत दिनों देखा कि 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में अभिव्यक्ति के संवैधानिक स्वातंत्रय को ढाल बनाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों ने भारत को विखंडित करने के नारे लगाए और दुर्दांत आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी पर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया| जिस प्रकार की घृणित और निंदनीय भाषा का वहां पर उपयोग किया गया, उसका उल्लेख करना भी बहुत शर्मनाक है|

भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति का जो मर्यादित अधिकार हमें दिया है, उसके उल्लेख की सबसे बड़ी साजिश

का खतरनाक उदाहरण है| विद्यालयों में छात्र संगठन को हथियार बनाकर देश की युवा शक्ति को गुमराह और भ्रमित करने का एक बड़ा षड़यंत्र अलगाववादियों और फिरकापरस्तों द्वारा रचा जा रहा है, जिसकी उच्च-स्तर पर चिंता करना और समय रहते उसका बचाव करना परमावश्यक है| यह एक खतरनाक संकेत है कि सीमाओं पर विफल रहने वाले राष्ट्र के दुश्मन अब राष्ट्र के भीतर सक्रिय होकर हमारी संवैधानिक संस्थाओ के प्रति जान-वैमनस्य का भाव पैदा करना चाहते हैं, जो प्रॉक्सी-वॉर का सबसे वीभत्स रूप है|

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी, आनंद शर्मा, डीएमके नेता डी. राजा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का जेएनयू जाकर भारत को खंडित करने की धमकी देने वालों और फासिस्टवादिओं का समर्थन करना घोर और निंदनीय अपराध है| इन नेताओं ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को महिमामंडित करने का कार्य किया है, और ऐसे राजनैतिक लोगों के दोहरे चेहरों को उजागर किया जाना अब आवश्यक हो गया है| कांग्रेस को इस देश को बताना होगा कि उसने 1947 में देश का विभाजन क्यों स्वीकार किया? कांग्रेस 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के उजड़ने और दस लाख लोगों के हत्याओं की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती|

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का मानना है कि शैक्षिक संस्थानों के लम्बे समय से किए जा रहे वामपंथीकरण के कारण कन्हैया और खालिद जैसे खट्टे तत्त्व पैदा हो रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा और अस्मिता को चुनौती देना अपना अधिकार समझते हैं| राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इन राष्ट्रविरोधी प्रयासों और मंतव्यों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है और भारत सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अत्यंत ही सजग-भाव से संविधान में प्रदत्त अपनी असीमित शक्तियों का परिचय देते हुए ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्वों से इस तरह निपटेगी की वह भविष्य के लिए एक सर्वव्यापी उदाहरण बन जाए|

हम यह भी अपेक्षा करते है कि जेनयू जैसे शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन के स्तर और उसकी गुणवत्ता की गहन जाँच सर्वोच्च न्यायालय के निर्वतमान न्यायाधीश द्वारा कराई जानी चाहिए| यह एक गंभीर जाँच का विषय है कि किस प्रकार से इन संस्थानों में भारत की आजादी को "भीख में मिली आजादी" कह कर पढ़ाया जाता है| यह भी जाँच होना चाहिए कि इन संस्थाओं के वामपरस्त अध्यापक चीन के भारत पर आक्रमण की यह कह कर पैरवी करते हैं कि भारत ने चीन की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप चीन ने भारत पर हमला किया| यह भी पढ़ाया जाता है कि भारत सरकार ने बम गिराकर कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर सिक्किम

इत्यादि राज्यों पर कब्ज़ा कर लिया था| अमर शहीद भगत सिंह को "बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद" और नेता जी सुभाष चंद्र बोस को "ताओ का कुत्ता" कहने वाले इन अध्यापकों को चिन्हित करना और उन्हें समाज के सामने लेकर दण्डित करना, यह इस राष्ट्र की दीर्घकालीन अस्मिता और सुरक्षा के लिए चुनौती है, जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच पूर्ण समर्पित भाव से भारत राष्ट्र-राज्य के निहितार्थ कृतसंकल्पित है|

(शनिवार दिनांक 2 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव का प्रतिरूप)